बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक – ....

सख्या :– 5 नि०गो०वि० (1) 15/2022– .... बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड में ईयर टैंगिंग कार्य के लिए नामित नोडल पदाधिकारी डा० विनय कुमार भारती, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कटोरिया, बांका के विरूद्ध ईयर टैंगिंग कार्य में संलग्न टैंगिंग कर्मियों के स्थान पर गलत अभिश्रव प्रस्तुत कर 13 फर्जी टैगिंग कर्मी को ₹2,10,957–/(दो लाख दस हजार नौ सौ सत्तावन रूपये मात्र) का भुगतान करने, दिनांक 08.09.2022 को विभागीय सचिव के द्वारा किये गये बांका जिला भ्रमण के क्रम में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, कटोरिया (बांका) के निरीक्षण के क्रम में नया ट्रेविस उपलब्ध होने पर भी उसे Install नहीं करने के संबंध में झूठ बोलने तथा वर्ष 2021–22 में HS & BQ टीकाकरण में ससमय टीकाकर्मियों का अभिश्रव कार्यालय में जमा नहीं करने संबंधी आरोपों के लिए आरोप–पत्र गठित कर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। डा० भारती के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर को नियुक्त किया गया।

क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर के पत्रांक 1022, दिनांक 02.12.2024 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उक्त आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि डा० भारती द्वारा अपनी गलती स्वीकर करते हुए अवैध टीकाकर्मी को दिये गये गलत भुगतान की कुल राशि ₹2,10,957–/(दो लाख दस हजार नौ सौ सत्तावन रूपये मात्र) जिला पशुपालन कार्यालय, बांका में जमा कर दिया गया है।

जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रमाणित आरोपों के लिए आरोपित पदाधिकारी डा० भारती से विभागीय पत्रांक 101 नि०गो०, दिनांक 04.03.2025 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में डा० भारती के द्वारा लिखित अभिकथन दिनांक 13.03.2025 को समर्पित किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि उनके विरूद्ध प्रमाणित सभी आरोप उनके जानकारी के अभाव में हो गया एवं की गयी गलत भुगतान की राशि ₹2,10,957–/(दो लाख दस हजार नौ सौ सत्तावन रूपये मात्र) जिला पशुपालन कार्यालय, बाँका में जमा कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में भी की गयी है। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई वित्तीय गबन नहीं हुआ है।

डा० भारती से प्राप्त उक्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत डा० भारती को चेतावनी अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में डा० विनय कुमार भारती, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कटोरिया, बांका को चेतावनी अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 नि०गो०वि० (1) 15/2022....................................../ **पटना–15, दिनांक –**

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, बांका/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 02/डा० विनय कुमार भारती, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कटोरिया, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 नि०गो०वि० (1) 15/2022..174 नि०गो०वि०../ **पटना–15, दिनांक –** 09/04/2025

प्रतिलिपिः– विभागीय आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/4/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

6